न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 644/2024

अनवान : –

1. पवन कुमार पुत्र रामकुमार जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामगढ़ तहसील नोहर ।

– **वादी**

बनाम्

1. राजेन्द्र पुत्र रामकुमार जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामगढ़ तहसील नोहर ।
2. रामकुमार पुत्र श्योराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामगढ़ तहसील नोहर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
श्री सुनील कटारिया अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 08/08/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा वादी एवं प्रतिवादीगण खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा 10 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 108/105 के कुल खसरे 21 की कुल तादादी 5. 5380 है0 भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के ब0 हि0 ब0 दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण की मुश्तरका खाता की भूमि है। भूमि मुश्तरका होने के कारण से वादी व प्रतिवादीगण में खाता, सींव व लगान से सम्बन्धित हमेशा तनाजात बना रहता है तथा लड़ाई झगड़ा बना रहता है इसलिए वादी खाता व लगान अलग करवाकर अलग से खाता तकसीम करवाना चाहता है।

वादी व प्रतिवादीगण ने उपरोक्त भूमि बाबत समझोता किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा 10 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 108/105 के प0 नं0 401/438 (11) के किला नं. 5/1 की 0.2280 है0, 5/2 की 0.0250 है0 गै0 मु0 रास्ता 5, 15 व 16 की 0.7590 है0, 12, 19 की 0.5060 है0 25/1 की 2430 है0 कुल किता 8 की कुल तादादी 1.7610 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है तथा प0 नं0 401/438 (11) के किला नं. 4/1 की 0.2280 है0, 4/2 की 0.0250 है0 गै0 मु0 रास्ता, 7, 14, 17 की 0.7590 है0, 24/1 की 0.2330 है0, 25/2 की 0.010 है0, 20, 21 की 0.5060 है0 कुल किता 9 की कुल तादादी 1.761 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 काबिज है तथा प0 नं0 401/438 (11) किला नं. 3/1 की 0.2150 है0, 3/2 की 0.0250 है0 गै0 मु0 रास्ता, 3/3 की 0.013 है0 गै0 मु0 रास्ता, 8/1 की 0.2400 है0, [illegible] 0.013 है0 गै0 मु0 रास्ता, 13/1 की 0.2490 है0, 13/2 की 0.004 है0 गै0 मु0 रास्ता, [illegible] की 0.2530 है0, 9, 2[illegible] की 0.5060 है0, 23 की 0.2530 है0, 24/2 की 0.020 है0 कुल किता [illegible] की कुल तादादी 1.7[illegible] है0 भूमि पर वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:08:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि मुताबिक बंटवारा हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 3 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल कि गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। वादी व प्रतिवादीगण का बाहमी बंटवारा हो चुका है मुताबिक बंटवारा ही वाद भूमि कब्जा व काश्त में है एवं इसी अनुसार वाद भूमि का अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिकी फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा वादी एवं प्रतिवादीगण खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा 10 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 108/105 के कुल खसरे 21 की कुल तादादी 5.5380 है0 भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के ब0 हि0 ब0 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 के नाम दर्ज है। वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। वादी व प्रतिवादीगण का बाहमी बंटवारा हो चुका है मुताबिक बंटवारा ही वाद भूमि कब्जा व काश्त में है एवं इसी अनुसार वाद भूमि का अपने नाम दर्ज करवा पाने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:08:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रोही मौजा 10 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 108/105 के प0 नं0 401/438 (11) के किला नं. 5/1 की 0.2280 है0, 5/2 की 0.0250 है0 गै0 मु0 रास्ता 5, 15 व 16 की 0.7590 है0, 12, 19 की 0.5060 है0 25/1 की 2430 है0 कुल किता 8 की कुल तादादी 1.7610 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प0 नं0 401/438 (11) के किला नं. 4/1 की 0.2280 है0, 4/2 की 0.0250 है0 गै0 मु0 रास्ता 7, 14, 17 की 0.7590 है0, 24/1 की 0.2330 है0, 25/2 की 0.010 है0, 20, 21 की 0.5060 है0 कुल किता 9 की कुल तादादी 1.761 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प0 नं0 401/438 (11) किला नं. 3/1 की 0.2150 है0, 3/2 की 0.0250 है0 गै0 मु0 रास्ता, 3/3 की 0.013 है0 गै0 मु0 रास्ता, 8/1 की 0.2400 है0, 8/2 की 0.013 है0 गै0 मु0 रास्ता, 13/1 की 0.2490 है0, 13/2 की 0.004 है0 गै0 मु0 रास्ता, 18 की 0.2530 है0, 9, 22 की 0.5060 है0, 23 की 0.2530 है0, 24/2 की 0.020 है0 कुल किता 12 की कुल तादादी 1.791 है0 भूमि वादी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं खाता व लगान अलग–अलग किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथावत रखते हुए तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/08/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:08:53 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 644 / 2024
अनवान : –

1. पवन कुमार पुत्र रामकुमार जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामगढ़ तहसील नोहर ।

– वादी

बनाम्

1. राजेन्द्र पुत्र रामकुमार जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामगढ़ तहसील नोहर ।
2. रामकुमार पुत्र श्योराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामगढ़ तहसील नोहर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 644 सन 2024 निर्णय दिनांक 08/08/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रोही मौजा 10 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 108/105 के प0 नं0 401/438 (11) के किला नं. 5/1 की 0.2280 है0, 5/2 की 0.0250 है0 गै0 मु0 रास्ता 5, 15 व 16 की 0.7590 है0, 12, 19 की 0.5060 है0 25/1 की 2430 है0 कुल किता 8 की कुल तादादी 1.7610 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प0 नं0 401/438 (11) के किला नं. 4/1 की 0.2280 है0, 4/2 की 0.0250 है0 गै0 मु0 रास्ता 7, 14, 17 की 0.7590 है0, 24/1 की 0.2330 है0, 25/2 की 0.010 है0, 20, 21 की 0.5060 है0 कुल किता 9 की कुल तादादी 1.761 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प0 नं0 401/438 (11) किला नं. 3/1 की 0.2150 है0, 3/2 की 0.0250 है0 गै0 मु0 रास्ता, 3/3 की 0.013 है0 गै0 मु0 रास्ता, 8/1 की 0.2400 है0, 8/2 की 0.013 है0 गै0 मु0 रास्ता, 13/1 की 0.2490 है0, 13/2 की 0.004 है0 गै0 मु0 रास्ता, 18 की 0.2530 है0, 9, 22 की 0.5060 है0, 23 की 0.2530 है0, 24/2 की 0.020 है0 कुल किता 12 की कुल तादादी 1.791 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं खाता व लगान अलग–अलग किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथावत रखते हुए तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 08/08/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:08:53 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर